BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Applicant

Versus

Godwin Construction Company Pvt Ltd & Others Respondent(s)

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit on behalf of District Magistrate Meerut in compliance of order dated 25.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure R-1(Colly)** A copy of Recovery Certificate and Recovery letter No. 36	

3.	**Annexure R-2:** A copy of report dated 28.08.2025 and 27.08.2025	
4.	**Annexure R-3(Colly)** A copy of demand notice dated 15.03.2023 and copy of order dated 13.04.2023 passed by the Hon'ble High Court.	
5.	**Annexure R-4 (Colly)** A copy of letter dated 25.10.2025 and reply dated 08.11.2025	
6.	**Annexure R-5** A copy of letter dated 30.10.2025	

THROUGH

Dated- 16.12.2025

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 492 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr
Applicant

Versus

Godwin Construction Company Pvt Ltd & Others
Respondent(s)

REPL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 25.09.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Satya Prakash Singh aged about 44 years, S/o Bachhraj Singh posted as Additional District Magistrate (E) Meerut, presently holding charge of District Magistrate Meerut Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorized officer on behalf of the answering Respondent No.6 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Execution Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents

16/XII/2025

of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That the instant Execution Application has been filed by the applicants seeking execution of order dated 04.03.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A. No.492/2022 Green Wood City Villa Jan Welfare Society and another Vs. Godwin Construction Company Pvt. Ltd. and others.

5. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 25.09.2025 was pleased to issue the following directions:-

> ***"………….Notice of the Execution Application be issued to the respondents. 3. Mr. Pradeep Misra, Advocate has appeared and accepted notice on behalf of respondents no.3 and 4 and Mr. Ankit Verma, Advocate has appeared and accepted notice on behalf of respondent no.6. 2 4. The Registry is directed to issue notices to respondents no.1, 2 and 5. 5. Compliance reports/responses may be filed 'by the respondents within one month…………"***

NOTARY GOVT. OF INDIA SURESH KUMAR Advocate Reg. No. 50269/2025

NOTARY GOVT. OF INDIA SURESH KUMAR Advocate Reg. No. 50269/2025

16/XII/2025

6. That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 25.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

7. That the Original Application No 492 of 2022 was disposed of by this Hon'ble Tribunal with following directions :-

..............83. *In view of the above, we dispose of this OA with the following directions: (I) We direct respondent 1 to make the provisions for treatment of sewage generated in the project area by constructing STP of requisite capacity and make it operational within 06 months from the date of this judgment. For disposal of solid waste in scientific manner and in compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, due steps shall be taken by Resident Welfare Association of the project in question. Residents Welfare Association or Villa Jan Welfare Society shall take appropriate steps in consultation with UPPCB within 03 months and UPPCB shall ensure thereafter compliance of environmental laws and norms in respect to handling,*

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No. 50269/2025 GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

management and disposal of solid waste in accordance with environmental laws and norms and if there is any violation, appropriate action shall be taken against the violators. (III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and after adjusting the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law. (V) Amount of environmental compensation realized from respondent 1 shall be utilized for remediation and rejuvenation of the already damaged environment in the area concerned in accordance with the

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

Environment Development Plan which shall be prepared by Joint Committee comprising UPPCB and District Magistrate, Meerut wherein District Magistrate shall be the nodal agency. This plan shall be prepared within 02 months and executed in the next 04 months. (VI) In case of failure on the part of respondent 1 in complying any part of directions given above, appropriate coercive action including criminal and other action, as are permitted in law, shall be taken by respondent 3 so as to seek compliance of directions given above. (VII) MDA, in the meantime, shall take necessary steps to ensure that sewage is not collected in the project area in violation of Section 24 of Water Act, 1974 and if connecting pipeline is to be replaced with a higher capacity line, necessary steps shall be taken by MDA. This action shall be taken by MDA within 02 months............"

8. That it is submitted that the office of the District Magistrate Meerut received letter dated 23.06.2025 from

the Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board herein after referred to as (UPPCB) with request to recover the amount of Rupees Ten Crores from the Respondent No.1 (Project Proponent) which was imposed by this Hon'ble Tribunal and deposit the same with the dedicated account of the Board.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. 50269/2025 GOVT. OF INDIA

9. That it is further submitted that in furtherance of letter dated 23.06.2025 as received from the UPPCB, the office of the District Magistrate Meerut (Respondent No.6) issued the Recovery Certificate dated 11.07.2025, after which recovery letter no.36 (citation) was issued against the Respondent No.1 (Project Proponent) by the Tehsildar Sadar Meerut on 17.07.2025. A copy of Recovery Certificate and Recovery letter No. 36 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1 (Colly).**

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No. 50269/2025 GOVT. OF INDIA

10. That the Revenue Lekhpal and the Tax Superintendent Nagar Nigam Meerut vide their report dated 28.08.2025 and 27.08.2025 informed about the assets of the

16/XII/2025

Respondent No.1. It was informed that khasra no. 1628 admeasuring 0.7080 hectares situated at Village Maliyana Distt. Meerut is registered in the name of Ms Godwin Construction Pvt Ltd through its Director Jitendra Singh Bajwa and Bhupendar Singh Bajwa and their name is recorded as Sankramaniya Bhumidar. A copy of report dated 28.08.2025 and 27.08.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

11. That it has been informed that earlier in the year 2023 the Meerut Development Authority (Respondent No.2) had issued a Demand Notice dated 15.03.2023 against the same Project Proponent, which was assailed by him by filing Writ Petition (Writ C No.12470 of 2023) before the Hon'ble High Court of Judicature At Allahabad, wherein the Hon'ble High Court, disposed of the writ petition directing the District Magistrate Meerut to proceed on demand notice against the assets of the company and not against the petitioner (Ex Director). A copy of demand notice dated 15.03.2023 and copy of order dated 13.04.2023 passed by

16/XII/2025

the Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as **Annexure R-3 (Colly).**

12. That it is further submitted that the Tehsiladr Sadar vide his office letter no. 891/1/WBh 08.11.2025N-Teh.Meerut-2025 dated 25.10.2025 addressed to the Ex Director of the company Mr Jitendar Singh Bajwa requested him to disclose the assets and status of the company M/s Godwin Construction Company Pvt Ltd. It was informed that the company was approved by the Meerut Development Authority in the year 2006 and the company and its operations were closed in the year 2023. All the bank accounts of the aforesaid company and transactions were also closed and the company has been winded up under the Ministry of Corporate Affairs. A copy of letter dated 25.10.2025 and reply dated 08.11.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4 (Colly).**

13. That it is respectfully submitted that in the light of the abovementioned facts and circumstances submitted above,

NOTARY GOVT. OF INDIA SURESH KUMAR Advocate Regd. No.- 50269/2025

16/XII/2025

the recovery could not be executed, hence the recovery letter was returned back on 30.10.2025 to the UPPCB. A copy of letter dated 30.10.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

14. That in the interest of justice, the present reply affidavit by the deponent may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

16/XII/2025
DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 16th day of December, 2025.

16/XII/2025
DEPONENT

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. 50269/2025 GOVT. OF INDIA

Name Satya Prakash Singh
Shri Bachhraj Singh
Residence ...
Identified by ...
Date 16 Month 12 Year 25

ATTESTED NOTARY
SURESH KUMAR
Reg.-50269/2025
GOVT. OF INDIA
MEERUT
Off Mob.- 9897887596

SURESH KUMAR
Advocate, NOTARY
Meerut
Serial No. 01 Book No. 2
Date 16/12/25
Registration No. 50269/2025
Chamber No.-1, Jain Milan Pyau
Chopla, Collectorate, Meerut - 250001

Annexure R-1

आदेश

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 486/G/OA-492/2022/MRT/2025 दिनांक– 28-6-25

सेवा में माoएनजीटी प्रकरण

अपर जिलाधिकारी(विo/राo),
मेरठ।

विषय–**Regarding realization/recovery of Environmental Compensation imposed by** Hon'ble **NGT against (Project Proponent) M/s Godwin Construction company Pvt. Ltd.,** Meerut **Through its Directors-Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghpat By-Pass Road, Meerut** in tune with the order **dated 09-08-2024 pronounced on 04-03-2025 by Hon'ble NGT in OA no. 492/2022,** Green **Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company** Pvt. **Ltd. Meerut & Ors.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। अवगत कराना है कि माoराष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. में पारित आदेश दिनांक–04/03/2025 के द्वारा वाद में Respondent-1(Project Proponent) GODWIN CONSTRUCTION COMPANY PVT. LTD. MEERUT Through its Directors- (i) Shri Jitendra Singh and (ii) Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghpat By-Pass Road, Meerut पर कुल 10.00 करोड़ रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस संबंध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को पत्रांक–एच29452/सी–3/एनजीटी–293/2025 दिनांक–23/06/2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र जिलाधिकारी महोदय के पृष्ठांकन संख्या–2469 दिनांक–23/06/2025 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि पत्र के साथ संलग्नकर वसूली हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर अग्रसारित है।

संलग्नक–यथोपरि।

CRA
2889

अपर जिलाधिकारी (विoराo)
मेरठ 03/7/25

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को उनके पृष्ठांकन संख्या–2469 दिनांक–23/06/2025 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी

तहसीलदार / मेरठ / मवाना / सरधना
संग्रह ...
पृष्ठ संख्या 01 / दि0 11/7/25
कृपया धनराशि की वसूली भू-राजस्व के अनुरुप निर्धारित अवधि में कराकर माग–पत्र इस कार्यालय को वापिस करायें तथा समय–समय पर वसूली की स्थिति से अवगत कराते रहे।

उप प्रभारी अधिकारी (संग्रह)
कलक्ट्रेट, मेरठ।

RC-I
3712
WBN
5/7/2025
CRA
11/7/25
16/XII/2025

Annexure R-1

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Rera/1/11-7-25

आर०सी०प्रपत्र-36
[देखे नियम-141(3)]
माँग का अभिपत्र

क्रम सं० गाजियाबाद/ [illegible] उ०प्र०/मि०

सेवा में,
श्री... जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह
गोडविन ऑफिस ग्रीन वुड सिटी नियर गोडविन होटल बागपत बाईपास रोड मेरठ।

जहां तक भू-राजस्व की बकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य बकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दे अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यो न आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

रकम = 10,0000000 + अन्य देय

जारी करने की तिथिः 11.7.25

मुहर ......
(तहसीलदार के हस्ताक्षर) तहसीलदार मेरठ

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No.- 50289/2025 GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

कार्यालय तहसीलदार, मेरठ
(संग्रह अनुभाग)

पत्रांक मांगी / वा0बा0न0 / वसूली 2025 दिनांक 2/ 8 / 2025

कर अधीक्षक
नगर निगम मेरठ।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाकीदार फर्म श्री जितेन्द्र सिंह एण्ड श्री भूपेन्द्र सिंह (गोडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0 लि0 मेरठ) नि0 ग्रीन वुड सिटी रिसोर्ट गोडविन होटल बागपत रोड मेरठ मेरठ का अंकन 100000000 /–रू0 व अन्य का वसूली हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त धन की वसूली हेतु बाकीदार का उपरोक्त पते पर सम्पत्ति/मकान का स्वामी कौन है, की सूचना की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त बाकीदार के नाम नगर निगम के अभिलेखो मे दर्ज सम्पत्ति होने की सूचना संग्रह अमीन तहसील मेरठ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

तहसीलदार
मेरठ।

TS.

महोदय कृ0 अवगत कराना है कि भवन सं0 01/A होटल गोडविन पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह वाधवा के नाम से गृहकर अभिलेखों मे दर्ज है उक्त भवन पर अंकन 24,08,890/= रुपये बकाया गृहकर है तथा भवन सं0 279/A मौ0 गोल्डन आवल सापित पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible] के नाम दर्ज है।

[illegible] 2/8/2024

भवन सं0 234/K वार्ड 38 नवीन रकाबी पर गोडविन पब्लिक स्कूल पुत्र श्री [illegible] सिंह वाधवा, ~~[illegible]~~ का नाम गृहकर अभिलेखों मे दर्ज है।

[illegible] 2/8/2025

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No.- 50269/2025
GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

Annexure R-2

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण / ...

कार्यालय तहसीलदार मेरठ
(संग्रह अनुभाग)

संख्या मीमो / वा0वा0न0–2025–26 दिनांक 28/08/2025

राजस्व निरीक्षक / लेखपाल
क्षेत्र–
तहसील मेरठ।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बाकीदार / फर्म गोडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 श्री जितेन्द्र सिंह एण्ड श्री भूपेन्द्र सिंह ऑफिस ग्रीन वुड सिटी सिवल गोडविन मेरठ के विरुद्ध अंकन 10,0000000.00 रु0 का ... होटल बागपत रोड मेरठ। कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ महोदय के माध्यम से वसूली हेतु तहसील मेरठ का प्राप्त हुआ है। उक्त बाकीदार / फर्म की के नाम कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति आपके अभिलेखों में दर्ज है अथवा नही तत्काल उपलब्ध करायें।

30/08/25
तहसीलदार
मेरठ।

महोदय

सादर अवगत कराना है कि मौजा ग्राम मलियाना तहसील व जिला मेरठ की वर्तमान खतौनी के खसरा सं0 1672 मि0 रकबा 0.7580 हे0 पर मैसर्स गाडविन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर भूपेन्द्र सिंह वालद पुत्र गुरुबचन सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रस्तुत भूमि पर आवासीय कालोनी विकसित है तथा उस पर रास्ते, पार्क इत्यादि विद्यमान है। आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No.- 50269/2025
GOVT. OF INDIA

Parmender Singh
Lekhpal

महोदय, लेखपाल आख्या सादर प्रेषित है।

31-10-25
(विजेन्द्र सिंह)
... पटवास

16/11/2025

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 285/C.T.P./2023 दिनांक : 15/03/23

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

अनुस्मारक पत्र

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषय : **तलपट मानचित्र सं0–28/06 में वाहय विकास शुल्क के सापेक्ष धनराशि रू0–27,39,25,261.00 की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–47/मा0 जोन–सी/23 दिनांक 30.01.2023 एवं पत्र संख्या–82/जोन–सी/22 दिनांक 18.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मैसर्स गॉडविन कन्स0 प्रा0लि0 के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में वाहय विकास शुल्क की अवशेष धनराशि रू0 27,39,25,261.00 की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु सम्पूर्ण प्रकरण का विवरण निम्नवत है:–

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित वाद विविध नं0–7787/08 में पारित आदेश दिनांक 07.08.2020 के सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि मै0 गोडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र सं0–28/06 स्वीकृति दिनांक 26.09.07, ग्रीन बुड सिटी नाम से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृति की शर्तों के अनुसार विकासकर्ता द्वारा वाह्य विकास शुल्क धनराशि रू0–6,57,14000.00 जमा कराये जाने थे। जिस हेतु आवेदक द्वारा 40 प्रतिशत धनराशि रू0–2,62,85600.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए अवशेष वाह्य विकास शुल्क रू0–3,94,28,420.00 की धनराशि को नियमानुसार किश्त किये जाने का अनुरोध किया गया था। जिस क्रम में आवेदक को प्रथम किश्त दिनांक 25.01.08 को धनांक रू0–1,54,95,541.00/दूसरी किश्त दिनांक 25.05.08 धनांक रू0–1,62,66,826.00 तथा तीसरी किश्त दिनांक 25.09.08 धनांक रू0–1,55,08,504.00 जमा किये जाने हेतु सूचित किया गया था। आवेदक द्वारा अवशेष धनराशि न जमा कराते हुए मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0–7787/08 दायर की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया, कि बाह्य विकास शुल्क के मद में जो सुविधाएँ विकासकर्ता को दी जानी है। उन्हे तत्काल उपलब्ध करायी जायें तथा विपक्षी को दिनांक 15.11.08 तक रू0–1,00,00,000.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराये। उक्त के क्रम में प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में वांछित कार्य पूर्ण करा दिये गये थे एवं याची द्वारा धनराशि रू0–1,00,00,000.00 प्राधिकरण में दिनांक 18.11.08 व दिनांक 10.12.08 को जमा करा दिये गये थे। प्रश्नगत कॉलोनी के समस्त वाह्य विकास कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त भी आवेदक द्वार अद्यतन् तक अवशेष वाह्य विकास शुल्क की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी गयी थी। अवशेष धनराशि रू0–2,94,28,420.00 देय दण्ड ब्याज के साथ प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 1042/18/मा03नु0/जोन–सी/18 दिनांक 05.05.18 प्रेषित किया गया। तत्समय विकासकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा स्थगन आदेश जारी होना बताया गया था। विकासकर्ता को अवशेष धनराशि रू0–2,94,28,420.00 देय दण्ड ब्याज के साथ जमा कराने हेतु पत्रांक सं0–60/18/मा03नु0/जोन–सी/18 दिनांक 27.08.2018 के माध्यम से सूचित किया गया था, परन्तु विकासकर्ता द्वारा पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया अपितु पूर्व

16/XII/2025

नियोजित वाद में स्वतः संज्ञान लेकर वाद को पुनर्जीवित रेस्टुरेशन के आवदेन का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लम्बित रखने के लिए प्रार्थना की गयी। वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0–7787/08 का मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2020 में निरस्त कर दी गयी है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विकासकर्ता को दिनांक 07.09.2020 व दिनांक 19.09.2020 को अवशेष वाह्य विकास शुल्क दण्ड ब्याज सहित जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे। उसके उपरान्त भी विकासकर्ता द्वारा बकाया धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी गयी है। तलपट मानचित्र सं0–28/06 में वाह्य शुल्क के रूप में दिनांक 25.12.2021 तक दण्ड ब्याज सहित रू0–27,39,25,261.00 आंकलित है।

तलपट मानचित्र सं0–28/06 में बाह्य विकास शुल्क के रूप में अंकन रू0–27,39,25,261.00 (दण्ड ब्याज दिनांक 25.12.2021 तक) एवं अन्य देयता मै0 गोडविन इन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा निवासी–डी–151, डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वसूली पत्र के साथ भिजवाने हेतु आपके कार्यालय को पत्र संख्या–47/मा0 जोन–सी/23 दिनांक 30.01.2023 एवं पत्र संख्या–82/जोन–सी/22 दिनांक 18.02.2022 प्रेषित किया गया था। परन्तु अभी तक उक्त धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में प्राधिकरण को प्राप्त नही हुई है।

उल्लेखनीय हैं कि प्राधिकरण की बकाया धनराशि वसूल किये जाने के लिए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अन्तर्गत देय धनराशि आर.सी. के माध्यम से वसूल किये जाने का प्राविधान है।

अतः अनुरोध है कि बाह्य विकास शुल्क के रूप में अंकन रू0–27,39,25,261.00 (दण्ड ब्याज दिनांक 25.12.2021 तक) एवं अन्य देयता मै0 गोडविन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा निवासी–डी–151, डिफेन्स एन्कलेव, मेरठ से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 8/2

(2) 17/3/23

प्रतिलिपिः–मैसर्स गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा निवासी–डी–151, डिफेन्स कालोनी, मवाना रोड, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। 8/2

16/XI/2025

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No.- 50209/2025 GOVT. OF INDIA

Annexure R-3

Shiv Sagar Singh
Advocate
High Court Chamber No. 39,
Office: G-11 Panch Shila Colony,
Nawab Yusuf Road, Civil Lines,
Allahabad.
Cell: 9415614789, 9889040292
9198501888

Writ C. No 12470/2023 Distt - Meerut

Jitendra Singh Bajwa

vs.

State of U.P. and 4 others

order dated 13/4/2023

CANCELLED

CANCELLED

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

Barcode Don't tamper with the barcode
Embossing to be done below this line on the last page

Embossing to be done above this line on the last page
This Authenticated Copy is invalid without this page

HIGH COURT AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Computerized Copying Section, High Court of Judicature at Allahabad

Requisition Information								
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No.of Pages
75083 of 2024	1.4.2024	WRIC	12470	2023	Allahabad	13.4.2023	15.0	1

Printed/Prepared by	Authenticated by	Date of Issuance
Signature :-	Signature :- 01/04/2024	01 APR 2024
Name :- Pragya Bhadauriya Designation :- Review Officer Employee No. :- E10720 Date of Printing:- 1.4.2024	Name :- Milan Gupta Designation :- Section Officer Employee No. :- 7534 Authenticated Copy ready on:-	

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No. 50269/2023 GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 42

Case :- WRIT - C No. - 12470 of 2023

Petitioner :- Jitendra Singh Bajwa
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Raghav Dev Garg,Sr. Advocate
Counsel for Respondent :- CSC,Shiv Prakash Gupta

Hon'ble Suneet Kumar,J.
Hon'ble Rajendra Kumar-IV,J.

Heard learned counsel for the parties.

The petitioner claims to be an Ex-Director of a company being M/s Godwin Construction Pvt. Ltd., Meerut (respondent no. 4).

It is submitted that the petitioner resigned from the post of Director of the Company on 10.04.2022. In this backdrop, it is submitted that the impugned notice dated 15.03.2023, issued by the second respondent Vice Chairman, Meerut Development Authority, raising a demand notice to recover the dues against the Director of the Company, is per se illegal.

It is submitted that the Company being a limited company, the Director of the Company cannot be held liable for the outstanding dues / default committed by the Company. Reliance has been placed on the decision rendered by Supreme Court in *Rakesh Mahajan vs. State of U.P. and others, 2019 SCC OnLine All 4766 : (2020) 2 All LJ 501.*

Be that as it may, legal proposition is not being disputed by the learned counsel for the respondents. He submitted that the Development Authority would proceed against the assets of the Company in accordance with law.

In view thereof, the writ petition is disposed of, directing the District Magistrate, Meerut, to proceed on the demand notice against the assets of the Company i.e. fourth respondent, and not against the petitioner (Ex-Director), provided the petitioner is liable otherwise being a personal guarantor.

Order Date :- 13.4.2023
Manoj

AUTHENTICATED COPY
01/04/2024
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPY SECTION
HIGH COURT, ALLAHABAD

Digitally signed by MANOJ KUMAR YADAV
High Court of Judicature at Allahabad

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No.- 50269/2025
GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

Annexure-R-4

कार्यालय तहसीलदार, मेरठ।

पत्रांक 891/1/ बा0वा0न0–तह0मे0–2025 दिनांक 25–10–2025

श्री जितेन्द्र सिंह
पूर्व निदेशक गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 (समापित कम्पनी)
मेरठ।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पाकेट टीसी–3/पल्ल्वपुरम फेस–2 मेरठ के बाकीदार मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रीन वुड सिटी निकट गाडविन होटल बागपत रोड बाईपास रोड मेरठ के विरूद्व निर्गत वसूली मॉग पत्र धनराशि अंकन 10,0000000/–रू0 के प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके कम मे प्रकरण के निस्तारण हेतु आपके द्वारा तहसील कार्यालय को प्रश्नगत वसूली प्रकरण से सम्बन्धित निम्नवत साक्ष्य/अभिलेखों की प्रमाणित/छायाप्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

1. आपकी पूर्व कम्पनी द्वारा ग्रीन वुड सिटी, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से स्वीकृत कराये गये मानचित्र का आदेश।
2. आपकी पूर्व कम्पनी द्वारा ग्रीन वुड सिटी को हैण्ड ओवर किये जाने सम्बन्धी अभिलेखों की प्रमाणित/छायाप्रति।
3. आपके द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध मे आबादी कब घोषित करायी गयी, के सम्बन्ध मे पारित आदेश की प्रमाणित/छायाप्रति।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध मे आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर वांछित साक्ष्य/अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें ताकि नियमानुसार प्रश्नगत प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate
Reg. No.- 50269/2025
GOVT. OF INDIA

तहसीलदार
मेरठ।

16/XII/2025

Annexure R-4

दिनाँक :-08/11/2025

सेवा में,
तहसीलदार सदर
तहसील मेरठ,

महोदय,

आपसे हुई वार्ता के क्रम में चूकि इस समय में राजस्थान में हूँ अतः आपको दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. रियल एस्टेट के मामलो में प्रदेश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था RERA द्वारा ग्रीन वुड सिटी के क्रम में पारित आदेश सन 2019 की प्रति जिसमे हमारी कंपनी को उक्त कॉलोनी जो की पूर्णतः विकसित है मैं कार्य मुक्त का स्पष्ट उल्लेख है।
2. हमारी कंपनी 2023 में अपने सभी बैंक खाते बंद कर चुकी है तथा बैंको की समस्त प्रकार की देनदारी, लिमिट अदि बंद कर कर बैंक खातों का सञ्चालन समाप्त किया जा चुका है के सन्दर्भ मैं बैंक के पत्रो की छाया प्रति ।
3. 2006 में करीब 26 वर्ष पूर्व हमारी कंपनी द्वारा ग्रीन वुड सिटी, मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराइ गई थी उक्त के सन्दर्भ में मंचित स्वीकृति की छाया प्रति|

महोदय उक्त कॉलोनी के विकासकर्ता 8 व्यक्ति थे जिनमे से 6 की मृत्यु हो चुकी है तथा २ डायरेक्टर शेष बचे है तथा कंपनी का समापन भारत सरकार के कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय द्वारा समापन किया जा चुका है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त कंपनी के क्रम में जिलाधिकारी मेरठ को स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है तथा कानून सम्मत भी कंपनी की बकाया राशि कंपनी के डायरेक्टर से व्यक्तिगत तौर पर कदापि वसूल नहीं की जा सकती केवल कंपनी तथा उसकी संपत्ति से ही वसूल की जा सकती है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न है|

चूकि कंपनी समाप्त हो चुकी हैं अतः कंपनी के नाम कोई संपत्ति नहीं है और यदि पाई जाती है तो वह स्वतः ही सरकार मैं निहित हो जाती है।

धन्यवाद

द्वारा

जितेन्द्र सिंह
पूर्व निदेशक
गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(समापित कंपनी)

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Reg. No.- 50269/2025 GOVT. OF INDIA

16/XII/2025

Annexure R-5

तहसीलदार मेरठ।

महोदया,

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉकेट–टी0सी0–3/2 पल्लवपुरम फेज–2 मोदीपुरम मेरठ के बाकीदार मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रीन वुड सिटी निकट गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ के विरूद्व निर्गत वसूली मॉग पत्र धनराशि अंकन 10,0000000/–रूपये के प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉकेट–टी0सी0–3/2 पल्लवपुरम फेज–2 मोदीपुरम मेरठ द्वारा वसूली मॉग पत्र मे उल्लेख किया है कि " मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 नम्बर 492/2022 ग्रीन वुड सिटी विला जन वैलफेयर सोसायटी व अन्य गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 मेरठ व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 04–03–2025 के द्वारा वाद मे बाकीदार/उपरोक्त के विरूद्व धनराशि अंकन 10,0000000/–रूपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है एवं इस सम्बन्ध मे बोर्ड मुख्यालय द्वारा जिलाधिकारी मेरठ को वसूली प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ द्वारा निर्गत वसूली मॉग पत्र संख्या 01/11–07–2025 जिलाधिकारी मेरठ महोदय के कार्यालय से वसूली हेतु प्राप्त हुआ। प्रश्नगत वसूली मॉग पत्र मे बाकीदार उपरोक्त को नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–36 दिनांक 17–07–2025 को जारी कर तामील कराया गया। बाकीदार द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया अतः वसूली हित मे बाकीदार उपरोक्त की मॉग पत्र मे उल्लिखत सम्पत्ति/मकान के स्वामित्व/चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध मे राजस्व निरीक्षक/लेखपाल तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक तहसील मेरठ द्वारा अपनी आख्या उपलब्ध कराते हुए उल्लेख किया गया कि राजस्व ग्राम मलियाना तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या 1628मि0 रकबा 0.7080है0 पर मैसर्स गाडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र गुरुवचन सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज तो है परन्तु प्रश्नगत सम्पत्ति पूर्व मे विक्रय की जा चुकी है और स्थलीय निरीक्षण मे मौके पुरानी आवासीय कालोनी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ से भी जानकारी प्राप्त की गयी। कर अधीक्षक नगर निगम मेरठ द्वारा अपनी आख्या मे अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति मॉग पत्र मे उल्लिखत बाकीदार/फर्म के नाम से न होकर होटल गाडविन, मै0 गोल्डन आयल सर्विस एवं गाडविन पब्लिक स्कूल के नाम से अभिलेखों मे दर्ज है। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 मे बैंको के साथ लेन–देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी–लिस्ट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर उनके द्वारा जो साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं वह संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बाकीदार मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, मुख्य पता कार्यालय सी0एम0सी0, 38 छी0पी0 टैंक मेरठ के विरूद्व निर्गत वसूली

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Meerut Reg. No. 50269/2023 GOVT. OF INDIA

मॉग पत्र धनराशि अंकन 457442743.63/–रूपये फर्म से वाहय विकास शुल्क की अवशेष धनराशि अंकन 273925261/–रूपये की वसूली हेतु प्रेषित किया गया था जिसमें मै0 गाडविन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा बाकीदार/फर्म कोई सम्पत्ति नहीं पाये जाने का कारण बताते हुए वसूली मॉग पत्र विभाग को वापस किया गया। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे उक्त वसूली मॉग पत्र के विरूद्व रिट याचिका संख्या सी–12470/2023 जितेन्द्र सिंह बाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 4 अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई उपरान्त पारित आदेश दिनांक 13–04–2023 का अंश जिसमें उल्लेखित है कि " **In view thereof, the writ petition is disposed of, directing the District Magistrate, Meerut, to proceed on the demand notice against the assets of the Company i.e. fourth respondent, and not against the petitioner (Ex-Director), provided the petitioner is liable otherwise being a personal guarantor.**"

चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान मे संचालित नही है और मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्पष्ट रूप से कम्पनी की सम्पत्ति से उक्त धनराशि वसूल करने का आदेश दिया गया है अतः डायरेक्टर से निजि तौर पर उक्त धनराशि वसूल नही की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 मे बैंको के साथ लेन–देन पूर्ण कर बन्द कर दिये गये थे तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी। उनके द्वारा यह भी जानकारी प्राप्त करायी गयी कि भारत सरकार के कम्पनी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी–लिस्ट की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं जो संलग्न है और कम्पनी के निजि डायरेक्टर से वसूली न की जाये यह प्राविधानित है। अतः ऐसी स्थिति मे मॉग पत्र मे उल्लिखत प्रश्नगत कम्पनी मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 मेरठ से मॉग पत्र मे निहित धनराशि को वसूल कर पाना सम्भव प्रतीत नही हो पा रहा है। अतः वसूली मॉग पत्र मूल रूप से वापस किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदानुसार वसूली मॉग पत्र वापस किया जाता है।

आख्या महोदय की सेवा मे सादर प्रस्तुत है।

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2025
GOVT. OF INDIA

महोदय,
संग्रह अमीन आख्या सादर प्रेषित है

CRA

आख्यापित